न्यायालय उपखण्डाधिकारी कोटपूतली (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी :- श्री सुरेश चौधरी (R.A.S)

वाद सं० 94/2011

1. गुड्डाराम
2. हरीराम
3. रामजीलाल पुत्रान सरदारा गुर्जर निवासी ढाणी काकरिया तन ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील - कोटपूतली (वादीगण)

बनाम

1. उमराव
2. सुल्तान
3. दाताराम पुत्रान गोपाल समस्त जाति गुर्जर निवासी ढाणी काकरिया तन ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील कोटपूतली
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली (प्रतिवादीगण)

दावा घोषणात्मक
निर्णय दि० 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी ने एक दावा घोषणात्मक इस न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया है, कि साबिक खसरा नं० 343 ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील-कोटपूतली से हाल बन्दोबस्त में खसरा नं० 794/0.87 हैक्ट० ग्राम खेड़ा निहालपुरा बना है। उक्त आराजी पर वादीगण अपने बुजुर्गों के समय से

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-2

Scanned by CamScanner

(2)

यानि 60 वर्षों से काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण के हक हकूक को नकारते हुए काबिज काश्त है। इस प्रकार वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार हो गये। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को कभी भी काश्त नहीं की है ना ही उनका कोई लेना-देना है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में नाम हटवाने के लिए कई बार कहा। परन्तु साफ इन्कार हो गये। इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ और यही बिनाय दावा है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि एक किता डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पेश की प्रदान की जावे, कि आराजी हाल ख० नं० 794/0.87 वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील-कोटपूतली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावे।

प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। सूचना प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 जरिये वकील उपस्थित आये और उन्होंने जबाव हेतु समय चाहा, जो उनको अवसर प्रदान किया गया। लेकिन वकील प्रतिवादीगण ने दो बार Cost पर जबाव दावा पेश करने का अवसर दिये जाने के बाद भी जबाव दावा पेश नहीं किया गया। इस पर जबाव दावा बन्द किया गया, तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-3

वादी गुड्या एवं गवाह के बयान कराये गये। जिसको शामिल पत्रावली किये जाकर पत्रावली वास्ते जिरह वकील प्रतिवादी नियत की गई। जिरह वकील प्रतिवादी नहीं की गई। इस पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील प्रतिवादी बहस के समय उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर वकील वादी एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का कब्जा करीब 60 वर्ष से उनके बुजुर्गान के समय चला आ रहा है एवं उक्त आराजी वादीगण काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण का राजस्व रिकोर्ड में गलत दर्ज हुआ है। प्रति भूल कब्जे के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान हो गये है। अतः खसरा नं० हाल 794/0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील-कोटपूतली का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया एवं वकील वादी के बहस के तथ्यों पर मनन किया। साबिक आ० खसरा नं० 343 जिसके हाल खसरा नं० 794/0.87 हैक्टेयर वाके ग्राम खेड़ा निहालपुरा तहसील-कोटपूतली बनना मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है। राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2066-69 के अनुसार खसरा नं० हाल 794/0.87

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

लगातार पृष्ठ-4

Scanned by CamScanner

(4)

हे० भूमि ग्राम खेड़ा निहालपुरा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 उमराव सुल्तान दातारम पि० गोपाल की खातेदारी भूमि है। वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा का दावा लाया है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है।

अतः वादीगण का वाद उपरोक्त विवेचनानुसार खारिज किया जाता है। उक्त आशय का पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी